



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में नागरिक पुलिस के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या सत्ता के दुरुपयोग की शिकायत कैसे कर सकता है, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और प्रकाश सिंह निर्देश क्या हैं, और मानवाधिकार आयोगों तथा अदालतों के जरिए क्या उपाय मौजूद हैं?”

भारत में पुलिस दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) और प्रकाश सिंह निर्देशों का कानूनी विश्लेषण तथा अदालतों एवं मानवाधिकार आयोगों के जरिए उपलब्ध उपाय

सारांश

भारत में नागरिक पुलिस के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA), मानवाधिकार आयोगों (NHRC/SHRC) और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय *Prakash Singh v. Union of India* (2006) में गंभीर पुलिस कदाचार की जांच के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के गठन का अनिवार्य निर्देश दिया था। यदि पुलिस किसी संज्ञेय अपराध की शिकायत पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं करती या स्वयं दुर्व्यवहार करती है, तो नागरिक के पास अनुच्छेद 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में जाने के बजाय CrPC/BNSS के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष वैकल्पिक और प्रभावी वैधानिक उपचार (जैसे धारा 156(3) या 200) उपलब्ध हैं।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	4	2025
17 उच्च न्यायालय • 8 सर्वोच्च न्यायालय		Bombay High Court

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 प्रकाश सिंह निर्देश और पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) का गठन

Prakash Singh v. Union of India में दिए गए निर्देशों के तहत पुलिस बल को बाहरी राजनीतिक दबाव से मुक्त करने और उसकी जवाबदेही तय करने के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना अनिवार्य की गई है, जिसकी वर्तमान स्थिति को *Suman Meena v. State of Rajasthan* (2024) में राज्य के लिए बाध्यकारी बताया गया है।

02 PCA के अधिकार क्षेत्र की वैधानिक सीमाएँ

प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गंभीर पुलिस कदाचार (जैसे हिरासत में मृत्यु, बलात्कार, गंभीर चोट, जबरन वसूली, या सत्ता के दुरुपयोग) तक सीमित है। PCA के पास स्वयं पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करने या नए सिरे से जांच शुरू करने का निर्देश देने की न्यायिक शक्ति नहीं है, यह कार्य केवल CrPC/BNSS के तहत न्यायालयों का है, जैसा कि *S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority* (2019) में प्रतिपादित किया गया है।

03 मानवाधिकार आयोग (NHRC/SHRC) की भूमिका और परिसीमा

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत गठित आयोग लोक सेवकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की विस्तृत जांच कर मुआवजा और अभियोजन की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 36(2) के अनुसार वे घटना के एक वर्ष के बीत जाने के बाद किसी मामले की जांच नहीं कर सकते, जैसा कि *N.C. Dhoundial v. Union of India* (2003) में न्यायिक सीमा के रूप में स्थापित किया गया है।

04 वैकल्पिक वैधानिक उपचार का सिद्धांत (Alternative Remedy)

पुलिस निष्क्रियता या दुर्यवहार के विरुद्ध सीधे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका स्वीकार्य नहीं है; नागरिकों को पहले CrPC की धारा 154(3), 156(3) या धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध प्रभावी उपचारों का सहारा लेना चाहिए, जैसा कि *Krishnkant Chourasiya v. The Establishment of Lokayukta Madhya Pradesh* (2023) में स्पष्ट किया गया है।

05 परमादेश (Mandamus) की सीमाएं

उच्च न्यायालय केवल तभी परमादेश जारी कर सकता है जब किसी वैधानिक या लोक कर्तव्य (public duty) के निष्पादन में विफलता हुई हो, और यह उपाय व्यक्तिगत हितों को साधने या पुलिस अधिकारियों को डराने के उद्देश्य से लाई गई याचिकाओं के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसा कि *S. Chandran v. The Superintendent of Police* (2019) में अभिनिर्धारित किया गया है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि थानों और जेलों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना और मानवाधिकार आयोगों का सुचारू संचालन मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अनिवार्य वैधानिक दायित्व हैं (*Dilip K. Basu v. State of West Bengal* (2015))। साथ ही, गंभीर पुलिस दुर्व्यवहार और फर्जी मुठभेड़ों की स्थिति में केवल वित्तीय मुआवजा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वतंत्र जांच एजेंसियों (जैसे CBI) द्वारा निष्पक्ष आपराधिक अभियोजन आवश्यक है (*Extra Judl. Exec. Victim Families Assn. v. Union of India* (2017))।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों का यह सुस्थापित रुख है कि पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय में आने के बजाय मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाना चाहिए (*Raju Sinha v. State of Chhattisgarh* (2019), *Brajesh Sharma v. State of M.P.* (2019))। वहीं, मद्रास उच्च न्यायालय ने पुदुचेरी क्षेत्र में PCA के उन आदेशों को अवैध घोषित किया जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश दे रहे थे (*S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority* (2022))।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

NHRC में पुलिस पृष्ठभूमि के सदस्यों की नियुक्ति पर मतभेद

People's Union for Civil Liberties v. Union of India (2005) में उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में इस बात को लेकर गंभीर मतभेद (split) देखा गया कि क्या NHRC में पुलिस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की नियुक्ति निष्पक्षता के जनविश्वास को प्रभावित कर सकती है, और इस जटिल कानूनी प्रश्न को बड़ी पीठ के सुपुर्द किया गया।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 18, PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993 — STEPS DURING OR ON COMPLETION OF INQUIRY

यह धारा मानवाधिकार आयोग द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान या पूरा होने के बाद उठाए जाने वाले कदमों को निर्दिष्ट करती है, जिसमें पीड़ित या उसके परिवार के लिए मुआवजे की सिफारिश करना, दोषी लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की सिफारिश करना या निर्देशों के लिए उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना शामिल है।

"The Commission may take any of the following steps during or upon the completion of an inquiry held under this Act, namely :— (a) where the inquiry discloses the commission of violation of human rights or negligence in the prevention of violation of human rights or abetment thereof by a public servant, it may recommend to the concerned Government or authority — (i) to make payment of compensation or damages to the complainant or to the victim or the members of his family as the Commission may consider necessary; (ii) to initiate proceedings for prosecution or such other suitable action as the Commission may deem fit against the concerned person or persons; (iii) to take such further action as it may think fit; (b) approach the Supreme Court or the High Court concerned for such directions, orders or writs as that Court may deem necessary; (c) recommend to the concerned Government or authority at any stage of the inquiry for the grant of such immediate interim relief to the victim or the members of his family as the Commission may consider necessary;" उद्धृत: Dilip K. Basu v. State of West Bengal, N.C. Dhoundial v. Union of India

SECTION 12, PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993 — FUNCTIONS OF THE COMMISSION

यह धारा मानवाधिकार आयोग के कार्यों का विवरण देती है, जिसमें लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही की शिकायतों की स्वतः संज्ञान या याचिका पर जांच करना और न्यायालय की मंजूरी से मानवाधिकार संबंधी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना शामिल है।

"The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:- (a) inquire, suo motu or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf into complaint of (i) violation of human rights or abetment thereof; or (ii) negligence in the prevention of such violation, by a public servant; (b) intervene in any proceeding involving any allegation of violation of human rights pending before a court with the approval of such court;" उद्धृत: Dilip K. Basu v. State of West Bengal, N.C. Dhoundial v. Union of India

ARTICLE 141, CONSTITUTION OF INDIA — LAW DECLARED BY SUPREME COURT TO BE BINDING ON ALL COURTS

यह प्रावधान अनिवार्य करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।

"141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts.—The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India." उद्धृत: Sanjay Singh Rathore v. State of Chhattisgarh, Kishore Kumar Agrawal v. State of Chhattisgarh, Devlal Sahu v. State of Chhattisgarh, Raju Sinha v. State of Chhattisgarh, People's Union for Civil Liberties v. Union of India, Ramesh Ahluwalia v. State of Punjab & Ors., Dileep Kumar Pandey v. Union of India & Ors., Union of India v. Bharat Forge Ltd., S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority (2019), S. Chandran v. The Superintendent of Police, Rahul Shrivastava v. State of Madhya Pradesh, Krishnkant Chourasiya v. The Establishment of Lokayukta Madhya Pradesh, Brajesh Sharma v. State of M.P., Suman Meena v. State of Rajasthan

SECTION 173, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — INFORMATION IN COGNIZABLE CASES

यह धारा संज्ञेय मामलों में सूचना की रिपोर्टिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसके तहत मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाती है।

"Section 173. Information in cognizable cases (1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station, and if given— (i) orally, it shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it; (ii) by electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within three days by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may by rules prescribe in this behalf." उद्धृत: इस सूची के मुकदमों में सीधे उद्धृत नहीं

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Menino Santana Fernandes v. State of Goa</i> HCBM050022162025	BOMBAY HIGH COURT	2025	SPCA का अधिकार क्षेत्र केवल गंभीर पुलिस कदाचार तक सीमित है।
02	<i>Suman Meena v. State of Rajasthan</i> RJHC020328332024	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2024	राज्यों को प्रकाश सिंह निर्देशों के अनुरूप पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करना चाहिए।
03	<i>S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority</i> HCMA011247212019	MADRAS HIGH COURT	2019	PCA को FIR दर्ज करने या वैकल्पिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं है।
04	<i>People's Union for Civil Liberties v. Union of India</i> ESCR010000422005	SUPREME COURT OF INDIA	2005	NHRC में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर न्यायिक मतभेद।
05	<i>M.S. Dasauni v. State of Uttarakhand</i> UKHC010092912010	HIGH COURT OF UTTARAKHAND	2015	गंभीर कदाचार के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई वैध है।
06	<i>Dilip K. Basu v. State of West Bengal</i> ESCR010006222015	SUPREME COURT OF INDIA	2015	हिरासत में हिंसा रोकने के लिए थानों में CCTV और SHRC का गठन अनिवार्य है।
07	<i>Extra Judl. Exec. Victim Families Assn. v. Union of India</i> ESCR010000702017	SUPREME COURT OF INDIA	2017	मुआवजा मिलने मात्र से फर्जी मुठभेड़ों की निष्पक्ष आपराधिक जांच नहीं रुकती।
08	<i>Krishnkant Chourasiya v. The Establishment of Lokayukta Madhya Pradesh</i> MPHC030050032023	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2023	FIR दर्ज न होने पर सीधे रिट याचिका के बजाय मजिस्ट्रेट का रुख करना चाहिए।
09	<i>Ramesh Ahluwalia v. State of Punjab & Ors.</i> ESCR01000932012	SUPREME COURT OF INDIA	2012	सार्वजनिक कार्य करने वाली निजी संस्थाओं के खिलाफ भी परमादेश रिट जारी की जा सकती है।
10	<i>Badrinath v. Government of Tamil Nadu</i> ESCR010004492000	SUPREME COURT OF INDIA	2000	प्रशासनिक निर्णयों में अप्रासंगिक तथ्यों पर भरोसा करने पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
11	<i>Dileep Kumar Pandey v. Union of India & Ors.</i> ESCR010005842025	SUPREME COURT OF INDIA	2025	परमादेश रिट का दायरा सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन तक सीमित है।
12	<i>Union of India v. Bharat Forge Ltd.</i> ESCR010009202022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	परमादेश रिट केवल वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्यों की विफलता पर ही जारी की जा सकती है।
13	<i>Arun Kumar Bhadoria v. State of Uttarakhand</i> UKHC010139052017	HIGH COURT OF UTTARAKHAND	2018	पुलिस को अवांछित हस्तक्षेप से बचाने और शिकायत निवारण हेतु पुलिस सुधार अनिवार्य हैं।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>Raju Sinha v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010401112019	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2019	पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं।
15	<i>N.C. Dhoundial v. Union of India</i> ESCR010007122003	SUPREME COURT OF INDIA	2003	मानवाधिकार आयोग धारा 36(2) के तहत एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता।
16	<i>Hardam Singh v. State of Punjab</i> PHHC010131412014	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2019	बिना कानूनी चेतावनी के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी अवैध और दंडनीय है।
17	<i>Devlal Sahu v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010227512018	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2020	सीधे उच्च न्यायालय आने के बजाय CrPC के तहत वैकल्पिक कानूनी उपचारों का उपयोग करें।
18	<i>Kishore Kumar Agrawal v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010086672021	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2021	FIR दर्ज करने से इनकार पर सीधे रिट याचिका के बजाय धारा 156(3) का उपयोग करें।
19	<i>Government of Andhra Pradesh v. P. Gautam Kumar</i> HBHC010275852012	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2012	प्रकाश सिंह निर्देशों के अनुसार DGP का चयन UPSC के पैनल से होना चाहिए।
20	<i>Sanjay Singh Rathore v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010066582021	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2021	मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध वैकल्पिक उपचार के कारण सीधे रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं।
21	<i>S. Chandran v. The Superintendent of Police</i> HCMD010362402015	MADRAS HIGH COURT	2019	पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई परेशान करने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।
22	<i>Rahul Shrivastava v. State of Madhya Pradesh</i> MPHC012809562020	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2022	FIR दर्ज कराने के लिए रिट याचिका नहीं, बल्कि पुलिस शिकायत की निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया जा सकता है।
23	<i>Brajesh Sharma v. State of M.P.</i> MPHC030128042019	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2019	FIR न लिखे जाने पर CrPC की धारा 156(3) और 200 के तहत मजिस्ट्रेट का उपचार उपलब्ध है।
24	<i>Kiran Singh v. National Human Rights Commission</i> DLHC015507672015	HIGH COURT OF DELHI	2023	फर्जी मुठभेड़ों में गंभीर खामियों पर NHRC मुआवजा और जांच की सिफारिश कर सकता है।
25	<i>S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority</i> HCMA010916852021	MADRAS HIGH COURT	2022	PCA को नए सिरे से जांच या FIR दर्ज कराने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Menino Santana Fernandes v. State of Goa

BOMBAY HIGH COURT • 2025-08-25 • WPCR/57/2025

यह याचिका State Police Complaints Authority (SPCA) द्वारा CCTV फुटेज प्रस्तुत करने के आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। न्यायालय ने पाया कि SPCA के समक्ष लंबित शिकायत के मुद्दे, जैसे कि FIR दर्ज न करना या पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न करना, Supreme Court द्वारा Prakash Singh v. Union of India मामले में निर्धारित SPCA के अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आते हैं। चूंकि संबंधित शिकायत और राहत का स्वरूप Section 156(3) of the CrPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है, न्यायालय ने इस रिट याचिका को खारिज कर दिया और SPCA को निर्देश दिया कि वह अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे पर विचार करे।

निर्णय बम्बई उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (SPCA) का क्षेत्राधिकार सीमित है और यह केवल *Prakash Singh* मामले में निर्धारित गंभीर पुलिस कदाचार (जैसे हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट, बलात्कार) की जांच के लिए ही प्राधिकृत है। प्राथमिकी दर्ज न करना या पुलिस निष्क्रियता के मामले SPCA के दायरे से बाहर हैं और इनके लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाने का उपचार मौजूद है।

“All three points formulated, on the face of it, appear to fall outside the jurisdiction of the SPCA, which is empowered to act, basically in terms of the judgment of the Supreme Court in Prakash Singh and others v/s Union of India reported in (2006)8 SCC 1). ... The recommendations of the Complaints Authority, both at the district and State levels, for any action, departmental or criminal, against a delinquent police officer shall be binding on the authority concerned.”

BOMBAY HIGH COURT • 2025

स्रोत HCBM050022162025

02 Suman Meena v. State of Rajasthan

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024-08-02 • CRLW/792/2024

यह मामला मुख्य रूप से Rajasthan में 'Police Complaints Authority' के गठन और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करने से संबंधित है। न्यायालय ने पहले के आदेशों में पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और Prakash Singh v. Union of India के निर्देशों के अनुरूप राज्य एवं जिला स्तर पर शिकायत प्राधिकरण बनाने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने इन निर्देशों का सही पालन नहीं किया है और वर्तमान 'Police Accountability Committee' सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने राज्य को एक Standard Operating Procedure (SOP) बनाने और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह *Prakash Singh* मामले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप राज्य और जिला स्तर पर स्वतंत्र 'Police Complaints Authority' का यथाशीघ्र गठन करे। यदि प्राधिकरण समय पर शिकायतों का निस्तारण नहीं करता, तो नागरिक अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।

“In this regard, this Court directs the State Government to take the requisite steps for the appointment and constitution of the ‘Police Complaints Authority’ at the state and district levels in the state of Rajasthan, in compliance with the directions of the Hon’ble Supreme Court in the judgment in Prakash Singh (Supra)...”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024

स्रोत RJHC020328332024

03 S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority

MADRAS HIGH COURT • 2019-07-30 • WP/21587/2019

यह मामला Puducherry में Police Complaints Authority (PCA) की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने PCA द्वारा जारी एक आदेश के कार्यान्वयन की मांग की थी, जिसमें police को एक भूमि विवाद (land grabbing) मामले में FIR दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि PCA का गठन केवल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दुराचार की शिकायतों की जांच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने तक सीमित था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि PCA को एक वैकल्पिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं है और FIR दर्ज करने या जांच की निगरानी करने जैसे निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ये शक्तियाँ केवल Code of Criminal Procedure के तहत सक्षम न्यायालयों के पास हैं।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन केवल पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दुराचार की शिकायतों की जांच करने और अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए किया गया है। इसके पास वैकल्पिक अदालत के रूप में कार्य करने या एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

“The Police Complainants Authority owes its existence to the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Prakash Singh case and the consequent Government Order passed by the Government of Puducherry. It can act only within the four corners of the authority vested in it. In the considered view of this Court, the power to give a direction to register an FIR or to transfer investigation or to complete the investigation within a particular period or to alter the offence or to direct further investigation or to file a further report, are all matters falling within the jurisdiction of a competent Court, as prescribed under the Code of Criminal Procedure.”

MADRAS HIGH COURT • 2019

स्रोत HCMA011247212019

04 People's Union for Civil Liberties v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2005-01-18 • 2005 INSC 35

यह मामला National Human Rights Commission (NHRC) में सदस्य के रूप में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की वैधता से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि Section 3(1)(d) के तहत पुलिस अधिकारी इस पद के लिए पात्र नहीं हैं और नियुक्ति प्रक्रिया में उचित परामर्श का अभाव था। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि संबंधित अधिकारी को मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में व्यापक अनुभव है। न्यायालय के समक्ष दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में मतभेद उत्पन्न हुआ। न्यायमूर्ति Y.K. Sabharwal ने माना कि पुलिस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की नियुक्ति से आम जनता का विश्वास कम हो सकता है और यह संस्था की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे शून्य घोषित किया। इसके विपरीत, न्यायमूर्ति D.M. Dharmadhikari ने माना कि कानून में पुलिस अधिकारी पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। मतभेद के कारण मामले को एक बड़ी बेंच (larger Bench) को भेज दिया गया।

निर्णय न्यायालय के समक्ष यह गंभीर विचारणीय प्रश्न था कि क्या पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने रेखांकित किया कि पुलिस हिरासत में उत्पीड़न और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की जांच में आयोग के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इसकी निष्पक्षता और जन-धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

“When a Police officer is a member of NHRC, the question to be asked is not to his bias but is the impression of a reasonable right minded person and the confidence the Commission would generate as a result of participation of a person of such a background.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2005

स्रोत ESCR010000422005

05 M.S. Dasauni v. State of Uttarakhand

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2015-11-23 • WPSS/48/2010

यह मामला Uttarakhand Police Act, 2007 के तहत गठित State Police Complaints Authority की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है। याचिकाकर्ता, एक Police Sub-Inspector, ने Authority द्वारा उसके विरुद्ध 'Serious misconduct' के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिशों और विभागीय जांच को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि Authority एक बहु-सदस्यीय निकाय है, और इसके Chairman द्वारा अकेले लिया गया निर्णय कानूनी रूप से मान्य नहीं है। न्यायालय ने पाया कि भले ही प्रारंभिक आदेश में त्रुटि थी, बाद में संपूर्ण Authority ने मामले की जांच की और याचिकाकर्ता को दोषी पाया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं Uttar Pradesh Police Officers of Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991 के अनुसार जारी रह सकती हैं।

निर्णय न्यायालय ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध "गंभीर दुराचार" (जैसे अवैध हिरासत और अवांछित बल प्रयोग) की जांच करने और विभाग को कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्तियों को विधिमान्य माना।

“Under Section 74 any person may lodge his complaint, relating to any “misconduct” or “ serious misconduct” on the part of police personnel, with the Authority...”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2015

स्रोत UKHC010092912010

06 Dilip K. Basu v. State of West Bengal

SUPREME COURT OF INDIA • 2015-07-24 • 2015 INSC 524

यह मामला पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और यातनाओं की बढ़ती घटनाओं से संबंधित है। न्यायालय ने Protection of Human Rights Act, 1993 के तहत राज्य सरकारों को कई निर्देश जारी किए। न्यायालय ने माना कि Section 21 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग (SHRC) का गठन करना सरकारों का कर्तव्य है, न कि केवल एक विवेकाधीन शक्ति। न्यायालय ने निर्देश दिया कि निर्दिष्ट राज्यों को छह महीने के भीतर SHRC स्थापित करने चाहिए और खाली पदों को तीन महीने के भीतर भरना चाहिए। इसके अलावा, जेलों में CCTV कैमरे लगाना, पुलिस थानों में सीसीटीवी पर विचार करना, और थानों में महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, जेलों में गैर-आधिकारिक आगंतुकों की नियुक्ति और हिरासत में मौतों के मामलों में उचित अभियोजन चलाने का आदेश दिया गया है।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) का गठन करना अनिवार्य है। हिरासत में हिंसा और यातना को रोकने के लिए जेलों और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

“Protection of Human Rights Act, 1993 symbolises the culmination of a long drawn struggle and crusade for protection of human rights in this country as much as elsewhere is the world.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2015

स्रोत ESCR010006222015

07 Extra Judl. Exec. Victim Families Assn. v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2017-07-14 • 2017 INSC 620

यह मामला मणिपुर में पुलिस और सशस्त्र बलों द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ों (fake encounters) में हुई 1528 मौतों की जांच से संबंधित है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि लंबी समयावधि या पीड़ित परिवारों द्वारा मुआवजा स्वीकार कर लेने मात्र से राज्य को गंभीर अपराधों की जांच से छूट नहीं मिलती। न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक हित याचिका (Public Interest Litigation) के तहत तीसरे पक्ष द्वारा उठाई गई मांग पर सुनवाई की जा सकती है क्योंकि न्याय तक पहुंच एक मानवाधिकार है। न्यायालय ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए CBI को एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया और मणिपुर पुलिस को जांच से अलग रखा। साथ ही, न्यायालय ने National Human Rights Commission (NHRC) की प्रभावशीलता बढ़ाने और इसके दिशा-निर्देशों के अनिवार्य कार्यान्वयन पर जोर दिया।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने माना कि पुलिस द्वारा किए गए गंभीर अपराधों (जैसे फर्जी मुठभेड़ या अवैध हत्याएं) में केवल वित्तीय मुआवजा देना जांच का विकल्प नहीं हो सकता। संवैधानिक न्यायशास्त्र जघन्य अपराधों के केवल मुआवजे के जरिए निपटारे की अनुमति नहीं देता, और ऐसे मामलों में सीबीआई (CBI) जैसी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच अनिवार्य है।

“Compensation has been awarded to the next of kin for the agony they have suffered and to enable them to immediately tide over their loss and for their rehabilitation. This cannot override the law of the land, otherwise all heinous crimes would get settled through payment of monetary compensation. The constitutional jurisprudence does not permit this...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2017

स्रोत ESCR010000702017

08 Krishnkant Chourasiya v. The Establishment of Lokayukta Madhya Pradesh

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023-02-27 • WP/4299/2023

यह याचिका मुख्य रूप से पुलिस या संबंधित अधिकारियों को FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग के साथ दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्होंने कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की थीं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (जैसे Sakiri Vasu vs. State of U.P.) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि FIR दर्ज कराने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करना उचित उपाय नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो शिकायतकर्ता के पास CrPC की धारा 154(3), 156(3), 190 और 200 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करने का प्रभावी वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है। अतः, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट या संबंधित विशेष न्यायाधीश के समक्ष शिकायत करने की स्वतंत्रता दी।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत को लेकर सीधे अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती। पीड़ित व्यक्ति के पास दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) और धारा 200 के रूप में अत्यधिक प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं।

“Even in cases where no action is taken by the police on the information given to them, the informant's remedy lies under Sections 190, 200 CrPC, but a writ petition in such a case is not to be entertained.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023

स्रोत MPHC030050032023

09 Ramesh Ahluwalia v. State of Punjab & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2012-09-13 • 2012 INSC 394

यह मामला एक निजी स्कूल के कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती देने से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि एक निजी संस्था 'State' की परिभाषा में नहीं आती है, फिर भी यदि वह सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन कर रही है, तो उसके विरुद्ध Article 226 के तहत Writ petition दायर की जा सकती है। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुशासनात्मक समिति (Disciplinary Committee) की कार्यवाही में निष्पक्षता का अभाव था, क्योंकि जो व्यक्ति प्रबंधन का गवाह था, वही अपील सुनने वाली समिति का सदस्य भी था। न्यायालय ने अनुशासनात्मक समिति के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को उचित मंच, यानी State School Education Tribunal के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति दी।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने परमादेश (Mandamus) रिट के व्यापक क्षेत्राधिकार पर बल देते हुए कहा कि यदि कोई भी निकाय (चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक) किसी लोक कर्तव्य (public duty) का पालन कर रहा है, तो उसके खिलाफ न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परमादेश रिट जारी की जा सकती है।

“Mandamus is a very wide remedy which must be easily available “to reach injustice wherever it is found”. Technicalities should not come in the way of granting that relief under Article 226.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2012

स्रोत ESCR01000932012

10 Badrinath v. Government of Tamil Nadu

SUPREME COURT OF INDIA • 2000-09-29 • 2000 INSC 473

यह मामला भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक अधिकारी की पदोन्नति (promotion) से संबंधित है, जिन्हें 'super time scale' में पदोन्नत नहीं किया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्रतिकूल टिप्पणियां (adverse remarks) लंबित थीं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि Governor द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान हटाए गए आरोपों के आधार पर दी गई 'censure' अवैध थी, और प्रशासनिक कार्रवाई में इन पुराने और बेअसर हो चुके प्रतिकूल तथ्यों का उपयोग करना Article 16 के तहत 'fair consideration' के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने Wednesbury principles को लागू करते हुए कहा कि जब चयन समिति ने अप्रासंगिक और पुरानी सामग्री पर भरोसा किया हो, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अतः, निर्णय को रद्द कर दिया गया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण वैधानिक शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण रूप से (mala fide), या अप्रासंगिक विचारों के आधार पर करता है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप कर उसे कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है।

“High Courts in India exercising their jurisdiction under Article 226 have the power to issue a writ of mandamus or a writ in the nature of mandamus or to pass orders and give necessary directions where the government or a public authority has failed to exercise or has wrongly exercised the discretion conferred upon it...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2000

स्रोत ESCR010004492000

11 Dileep Kumar Pandey v. Union of India & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2025-05-21 • 2025 INSC 749

यह मामला इस प्रश्न से संबंधित था कि क्या Air Force School, Bamrauli को Constitution of India के Article 12 के तहत 'State' या 'authority' माना जा सकता है और क्या इसके खिलाफ Article 226 के अंतर्गत writ याचिका दायर की जा सकती है। न्यायालय के समक्ष मुख्य विवाद शिक्षकों की सेवा संबंधी कार्यवाहियों और स्कूल के प्रबंधन पर Indian Air Force (IAF) के नियंत्रण की प्रकृति पर था।\n\nबहुमत के निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि स्कूल 'State' की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि इसका प्रबंधन किसी सरकारी नियंत्रण या वैधानिक नियमों के अधीन नहीं है, और यह निजी अनुबंध के दायरे में आता है। अतः, writ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि, एक न्यायाधीश ने असहमति जताते हुए माना कि स्कूल सार्वजनिक कार्य (शिक्षा) कर रहा है और IAF का उस पर गहरा नियंत्रण है, जिससे यह writ अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश जारी करने के लिए प्रतिवादी का 'राज्य' होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि उसके द्वारा किसी सकारात्मक लोक कर्तव्य (public duty) या दायित्व का निर्वहन किया जाना आवश्यक है।

“The words “any person or authority” used in Article 226 are, therefore, not to be confined only to statutory authorities and instrumentalities of the State. They may cover any other person or body performing public duty. ... No matter by what means the duty is imposed, if a positive obligation exists mandamus cannot be denied.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2025

स्रोत ESCR010005842025

12 Union of India v. Bharat Forge Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-08-16 • 2022 INSC 837

यह मामला एक सरकारी निविदा (tender) प्रक्रिया में GST दरों और HSN कोड के निर्धारण से संबंधित है। निविदा में भाग लेने वाले बोलीदाताओं ने अलग-अलग GST दरें उद्धृत कीं, जिससे मूल्य तुलना और रैंकिंग प्रभावित हुई। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि निविदाकर्ता (appellant) को सही HSN कोड और लागू GST दर स्पष्ट करनी चाहिए ताकि एक समान प्रतिस्पर्धा (level playing field) सुनिश्चित हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निविदा दस्तावेजों के तहत सही HSN कोड और GST दर बताना बोलीदाता की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि निविदाकर्ता पर ऐसी कोई वैधानिक या सार्वजनिक जिम्मेदारी (public duty) नहीं है कि वह स्वयं कर अधिकारियों से HSN कोड का स्पष्टीकरण मांगे, और रिट जारी करने के लिए ऐसी कोई कानूनी बाधता नहीं थी।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परमादेश रिट जारी करने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि कानून या संविधि द्वारा प्रतिवादी पर एक सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य आरोपित किया गया हो और उस कर्तव्य के पालन में विफलता साबित हो।

“A Writ of Mandamus or a direction, in the nature of a Writ of Mandamus, is not to be withheld, in the exercise of powers of Article 226 on any technicalities. This is subject only to the indispensable requirements being fulfilled. There must be a public duty.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010009202022

13 Arun Kumar Bhadoria v. State of Uttarakhand

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2018-05-15 • WPPIL/48/2017

यह जनहित याचिका (PIL) उत्तराखंड में पुलिस बल के लिए बेहतर सेवा शर्तों और मानवीय कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को अत्यधिक कार्यभार का सामना करना पड़ता है और उनकी सेवा स्थितियों में सुधार की आवश्यकता है।\n\nन्यायालय ने Uttarakhand Police Act, 2007 के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए माना कि राज्य सरकार के पास पहले से ही

पुलिस कल्याण, शिकायतों के निवारण और कार्य स्थितियों में सुधार के लिए पर्याप्त वैधानिक ढांचा मौजूद है। यद्यपि न्यायालय ने पुलिस सुधारों और कर्मियों की कार्य स्थितियों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कानून के पालन और पुलिस कल्याण ब्यूरो के सक्रिय कार्यान्वयन के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया गया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस व्यवस्था में सुधार, उसे राजनीतिक और अनुचित बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पुलिस शिकायत निवारण तंत्र और स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरणों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

“The Commission has recommended a structure so as to insulate police from unwarranted interference... the complaints authorities would provide an effective grievance redressal mechanism against police high handedness.”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2018

स्रोत UKHC010139052017

14 Raju Sinha v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2019-11-27 • WPCR/1176/2019

यह मामला पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने के विरुद्ध दायर की गई एक रिट याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि प्रतिवादियों के विरुद्ध Section 420 of the IPC के तहत मामला दर्ज किया जाए। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जब पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करती है, तो संबंधित व्यक्ति के पास Section 154(3), Section 156(3), and Section 200 of the CrPC के तहत प्रभावी वैकल्पिक कानूनी उपचार उपलब्ध हैं। न्यायालय ने यह भी स्थापित किया कि ऐसे मामलों में सीधे Article 226 of the Constitution of India के तहत रिट याचिका दायर करना उचित नहीं है और याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का निर्देश दिया गया।

निर्णय न्यायालय ने सुस्थापित न्यायिक सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की शिकायत पर भी कार्रवाई न करने की स्थिति में नागरिक को पहले दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपलब्ध पुलिस अधीक्षक (154(3)) या मजिस्ट्रेट (156(3)) के समक्ष वैकल्पिक उपायों का पालन करना चाहिए, न कि सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका लानी चाहिए।

“...the remedy available to the aggrieved person lies to approach the Judicial Magistrate under Section 156(3) of the CrPC. We are of the opinion that the High Court should not encourage this practice and should ordinarily refuse to interfere in such matters...”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2019

स्रोत CGHC010401112019

15 N.C. Dhoundial v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2003-12-11 • 2003 INSC 703

यह मामला National Human Rights Commission (NHRC) के अधिकार क्षेत्र और परिसीमा (limitation) से संबंधित है। एक सरकारी अधिकारी ने CBI अधिकारियों पर अवैध हिरासत और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। NHRC ने पहले शिकायत खारिज की, लेकिन बाद में पुनर्विचार याचिका पर CBI अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि Protection of Human Rights Act, 1993 की Section 36(2) के तहत NHRC एक वर्ष से अधिक पुरानी घटनाओं का संज्ञान नहीं ले सकता। न्यायालय ने माना कि इस मामले में 'continuing wrong' का सिद्धांत लागू नहीं होता और NHRC ने अपनी वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है। तदनुसार, NHRC का निर्देश Article 14 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया गया।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है और यह कानून द्वारा स्थापित सीमाओं से बंधा हुआ है। अधिनियम की धारा 36(2) मानवाधिकार आयोग पर एक सख्त परिसीमा (jurisdictional bar) लगाती है, जिसके कारण वह घटना की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद किसी मामले की जांच नहीं कर सकता।

“The Commission, which is the creature of statute, is bound by its provisions. ... Section 36(2) of the Act thus places an embargo against the Commission enquiring into any matter after expiry of one year from the date of the alleged act violative of human rights.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2003

स्रोत ESCR010007122003

16 Hardam Singh v. State of Punjab

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2019-09-12 • CRA-D/109/2014

यह मामला 25 अक्टूबर 1991 को अबोहर स्थित भवानी कॉटन मिल में मजदूरों की हड़ताल के दौरान हुई पुलिस फायरिंग से संबंधित है, जिसमें आठ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अठारह घायल हो गए। शुरुआत में पुलिस ने स्वयं के बचाव का दावा करते हुए मजदूरों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, लेकिन बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर घटना की निष्पक्ष जांच के लिए अलग से FIR दर्ज की गई। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पाया कि पुलिस ने बिना किसी कानूनी आदेश या पूर्व चेतावनी (जैसे लाठी चार्ज) के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। सत्र न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को IPC की विभिन्न धाराओं और Arms Act के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

निर्णय उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा अत्यधिक और गैर-कानूनी बल प्रयोग (बिना चेतावनी के गोलीबारी) करने पर पुलिस अधिकारियों के अभियोजन और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। न्यायालय ने मानवाधिकारों के सम्मान और पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुधारों और शिकायत प्राधिकरणों की आवश्यकता पर बल दिया।

“The National Human Rights Commission (NHRC) was established on 12th October, 1993 as mandated by the Protection of Human Rights Act, 1993. ... The Commission has recommended a structure so as to insulate police from unwarranted interference...”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2019

स्रोत PHHC010131412014

17 Devlal Sahu v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020-11-26 • WPCR/442/2018

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से पुलिस को प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध संज्ञेय अपराधों के लिए FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के Lalita Kumari v. Government of U.P. और Sakiri Vasu v. State of U.P. के निर्णयों का संदर्भ देते हुए कहा कि जब पुलिस FIR दर्ज करने में विफल रहती है, तो याचिकाकर्ता को सीधे उच्च न्यायालय के पास आने के बजाय उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपचारों का उपयोग करना चाहिए। इसमें संबंधित पुलिस अधीक्षक को Section 154(3) CrPC के तहत सूचित करना, या मजिस्ट्रेट के समक्ष Section 156(3) CrPC के तहत आवेदन करना शामिल है। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित उपचार अपनाने की स्वतंत्रता दी।

निर्णय न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि पुलिस शिकायत मिलने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो याचिकाकर्ता सीधे उच्च न्यायालय में आने के बजाय सीआरपीसी (CrPC) की धारा 154(3) के तहत पुलिस अधीक्षक को लिख सकता है, और इसके विफल रहने पर धारा 156(3) के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त कर सकता है।

“We are of the opinion that the High Court should not encourage this practice and should ordinarily refuse to interfere in such matters, and relegate the petitioner to his alternating remedy, firstly under section 154(3) ... and if that is of no avail, by approaching the concerned Magistrate under section 156(3).”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020

स्रोत CGHC010227512018

18 Kishore Kumar Agrawal v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2021-03-22 • WPCR/206/2021

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर रिट याचिका दायर की थी कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि प्रतिवादियों ने उनकी भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों, विशेष रूप से *Sakiri Vasu v. State of U.P.* का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करती है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास सीधे उच्च न्यायालय में जाने के बजाय CrPC की Section 156(3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाने का वैकल्पिक और प्रभावी कानूनी उपाय उपलब्ध है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में writ jurisdiction का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, याचिका को अस्वीकार कर दिया गया और याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने की छूट दी गई।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि जब पुलिस एफआईआर (FIR) दर्ज करने से इनकार करती है, तो सीधे अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है।

“We are of the opinion that the High Court should not encourage this practice and should ordinarily refuse to interfere in such matters, and relegate the petitioner to his alternating remedy, firstly under section 154(3) and section 36, Criminal Procedure Code ... and if that is of no avail, by approaching the concerned Magistrate under section 156(3).”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2021

स्रोत CGHC010086672021

19 Government of Andhra Pradesh v. P. Gautam Kumar

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2012-08-16 • WP/19026/2012

यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका से संबंधित है, जिसमें DGP (HoPF) के पद पर V. Dinesh Reddy की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियुक्ति मनमानी थी, जबकि प्रतिवादी का तर्क था कि यह *Prakash Singh v. Union of India* में निर्धारित अनिवार्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन और न्यूनतम कार्यकाल के संबंध में *Prakash Singh* मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पूरी तरह से बाध्यकारी हैं और राज्यों को यूपीएससी (UPSC) द्वारा तैयार किए गए वरिष्ठ अधिकारियों के पैल के आधार पर ही यह नियुक्ति करनी होगी।

“The DGP of the State shall be selected by the State Government from amongst the three senior-most officers... empanelled for promotion to that rank by the Union Public Service Commission on the basis of their length of service, very good record and range of experience...”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2012

स्रोत HBHC010275852012

20 Sanjay Singh Rathore v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2021-03-18 • WPCR/202/2021

यह मामला एक रिट याचिका से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना देने के बावजूद FIR दर्ज न करने के खिलाफ न्यायालय से निर्देश की मांग की थी। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों जैसे Sakiri Vasu v. State of U.P. और Aleque Padamsee v. Union of India का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि जब FIR दर्ज नहीं की जाती, तो पीड़ित के पास Cr.P.C. की धारा 154(3), 156(3) या 200 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाने का वैकल्पिक और प्रभावी कानूनी उपाय उपलब्ध है। अतः न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को उपयुक्त कानूनी मंच पर जाने की स्वतंत्रता दी।

निर्णय न्यायालय ने माना कि संज्ञेय अपराध के खुलासे पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य है, लेकिन यदि पुलिस ऐसा नहीं करती, तो पीड़ित को सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के बजाय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपायों को अपनाना चाहिए।

“The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring officers who do not register the FIR ... However, in case the police fails to register an FIR, the modalities set out under Section 190 read with Section 200 of the CrPC are to be adopted...”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2021

स्रोत CGHC010066582021

21 S. Chandran v. The Superintendent of Police

MADRAS HIGH COURT • 2019-07-01 • WP(MD)/15095/2015

याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और उसके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को रोकने के लिए Mandamus की मांग की थी। न्यायालय ने पाया कि यह याचिका परिवार के संपत्ति विवाद से प्रेरित थी और पुलिस अधिकारियों को डराने के उद्देश्य से दायर की गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Article 226 of the Constitution of India के तहत केवल ठोस सबूत होने पर ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार दर्ज किए गए मामलों को चुनौती देना अनुचित है। अतः न्यायालय ने इस याचिका को vexatious litigation मानते हुए खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परमादेश रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब लोक सेवक अपने सेवा नियमों या वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हों। पुलिस अधिकारियों को डराने-धमकाने या व्यक्तिगत विवादों को निपटाने के उद्देश्य से दायर की गई आधारहीन और परेशान करने वाली याचिकाओं (vexatious litigations) को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

“A writ of mandamus would lie undoubtedly if the public servants are failing in their duty to act as per the Service Rules. ... Contrarily, mere registration of a criminal case against the accused persons would not provide a cause for them to file writ petitions under Article 226 of the Constitution of India and such writ petitions are to be treated as vexatious litigations...”

MADRAS HIGH COURT • 2019

स्रोत HCMD010362402015

22 Rahul Shrivastava v. State of Madhya Pradesh

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2022-03-07 • WP/19025/2020

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6, जिनके पास केवल BAMS की डिग्री है, वे MD (Medicine) का झूठा दावा कर लोगों को एलोपैथिक दवाओं से उपचार करने का भ्रम दे रहे हैं। जिला प्रशासन की जांच में शिकायत सही पाई गई थी, लेकिन प्रतिवादियों का पंजीकरण बहाल कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Article 226 of the Constitution of India के तहत FIR के लिए Writ जारी नहीं की जा सकती, लेकिन निर्देश दिया कि पुलिस को प्राप्त शिकायत की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और यदि संज्ञेय अपराध पाया जाता है, तो Cr.P.C. के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी नहीं की जा सकती, लेकिन जब कोई शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन जाता है, तो यह आवश्यक है कि पुलिस शिकायत की जांच करे और संज्ञेय अपराध की पुष्टि होने पर सीआरपीसी के तहत कानूनन कार्रवाई सुनिश्चित करे।

“...indeed no writ can be issued under Article 226 of the Constitution of India in the matter of registration of FIR, nevertheless, once a complainant has approached the concerned Police Station, it is expected that the complaint is duly adverted to and if cognizable offence is found after verification the same may be put to action...”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2022

स्रोत MPHC012809562020

23 Brajesh Sharma v. State of M.P.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2019-06-17 • WP/11071/2019

इस मामले में याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर कर पुलिस को उसके द्वारा दी गई शिकायत पर FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या FIR दर्ज कराने के लिए Article 226 of the Constitution of India के तहत रिट याचिका स्वीकार्य है या नहीं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो शिकायतकर्ता के पास Sections 154(3), 156(3), 190, और 200 CrPC के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने का वैकल्पिक और प्रभावी उपचार उपलब्ध है। इन न्यायिक नज़ीरों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में आपराधिक शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता दी।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस निष्क्रियता के खिलाफ सीधे अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश की मांग करने वाली याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं, क्योंकि शिकायतकर्ता के पास सीआरपीसी की धारा 190 और 200 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत दर्ज कराने का वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है।

“Even in cases where no action is taken by the police on the information given to them, the informant’s remedy lies under Sections 190, 200 CrPC, but a writ petition in such a case is not to be entertained.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2019

स्रोत MPHC030128042019

24 Kiran Singh v. National Human Rights Commission

HIGH COURT OF DELHI • 2023-12-14 • W.P.(CRL)/2475/2015

यह मामला 5 मई 2006 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा किए गए कथित फर्जी एनकाउंटर से संबंधित है, जिसमें पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। मनोज के पिता (याचिकाकर्ता) ने एनकाउंटर की निष्पक्ष CBI जांच और कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे की मांग की है। NHRC ने प्रारंभिक जांच में पाया कि पुलिस की कार्यवाही में गंभीर खामियां थीं, जैसे कि फॉरेंसिक साक्ष्यों का अभाव और अनिवार्य मजिस्ट्रियल जांच न कराना। तत्पश्चात, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में भी पुलिस की कहानी पर गंभीर संदेह व्यक्त किया गया और CBI जांच की सिफारिश की गई। न्यायालय ने इन तथ्यों के आधार पर मामले की गंभीरता को रेखांकित किया है।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 और 13 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के विस्तृत जांच अधिकारों और दीवानी अदालत (Civil Court) जैसी शक्तियों की पुष्टि की। आयोग मानवाधिकारों के हनन और लोक सेवकों की लापरवाही की स्वतः संज्ञान लेकर या याचिका पर निष्पक्ष जांच कर सकता है।

“Under Section 12(a), the NHRC has vast powers which include inquiry suo-moto into any complaint or any incident, intervening in any proceedings involving violation of human rights ... Since the NHRC exercises powers like a Civil Court under Section 13, what is important is the operative portion of the NHRC order...”

HIGH COURT OF DELHI • 2023

स्रोत DLHC015507672015

25 S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority

MADRAS HIGH COURT • 2022-02-02 • WP/18526/2021

यह याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें petitioner ने यह निर्देश मांगा था कि Puducherry के Director General of Police को Police Complaints Authority के आदेशों का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने Prakash Singh v. Union of India मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि Police Complaints Authority के पास FIR दर्ज करने या नए सिरे से जांच का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायालय ने पाया कि Police Complaints Authority केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती है। चूंकि याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में विफल रहा कि किस विशिष्ट आदेश का पालन किया जाना है, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) के पास पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर जाकर पुलिस को नए सिरे से जांच (fresh investigation) करने या किसी अन्य नागरिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

“...the Police Complaints Authority is not conferred with the jurisdiction either to cause a fresh investigation or to register an FIR against any person other than the police officer and that the Police Complaints Authority needs to exercise the power within the four corners of the jurisdiction conferred by the Apex Court in the case of Prakash Singh supra.”

MADRAS HIGH COURT • 2022

स्रोत HCMA010916852021

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।